न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 93/2024

1. गुरा सिंह पुत्र श्री सरवण सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. मलकियत सिंह पुत्र श्री सरवण सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. बलजीत सिंह पुत्र श्री गुरा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री हंसराज जाति अरोड़ा निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. रमेश कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति अरोड़ा निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा	– –	प्रार्थीगण
2. श्री रोबिन गुम्बर	– –	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज	– –	अप्रार्थी 2

–:: निर्णय::–

दिनांक :– 15.10.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 6 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 से 10 व 13/2 से 15/2 में 3.162 है0 कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थीगण का पेशा खेती है। प्रार्थीगण का पता वही है, जो कि प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण आबादी भूमि से होकर सरकारी रास्ता से होते हुए, इससे आगे वाले चक 6 एल एल के मु0न0 24 के किला नम्बर 25/1 की पूर्व दिशा से व किला नम्बर 16/1 की पूर्व दिशा में घरेलू तौर पर चल रहे रास्ता से होकर अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 15/1 में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण के रकबा में आने जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर वह हमेशा टाल–मटोल करते रहे। अब दिनांक 01.06.2024 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। प्रार्थीगण के पास अपने रकबा में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृत रास्ता नहीं है। उक्त रकबा जहां से प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते हैं, वह अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

होने के कारण वह प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उनके रकबा में आने जाने के लिए चक 6 एल एल के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 25/1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.0153 है0 (दक्षिण से उत्तर) तथा किला नम्बर 16/1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.0153 है0 (दक्षिण से उत्तर) रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा बतौर रास्ता अंकन करवाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीगण के नाम से चक 6 एल एल के मुरब्बा नम्बर 24 में भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं है । अप्रार्थीगण ने समय अभाव के कारण शहर आने से इन्कार किया था। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से उनके द्वारा चाहे गए रास्ता की एवज में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है तथा मौका पर रास्ता सहमति से चालू कर दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ता को स्वीकृत किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को मुआवजा राशि प्राप्त हो चुकी है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 माननीय न्यायालय से किसी मुआवजा की अधियाचना नहीं करते है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि में से चक 6 एल एल के खाता संख्या 5/2 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 25/1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.0153 है0 (दक्षिण से उत्तर) तथा किला नम्बर 16/1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.0153 है0 (दक्षिण से उत्तर) रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जमाबंदी का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्त. अधि. में वैकल्पिक रास्ते के अभाव एवं रास्ते की आतयन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते का अभाव है। प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है, अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले किसी भी प्रकार के मुआवजा की मांग नहीं की गई। प्रार्थीगण को उसकी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 एल एल के खाता संख्या 5/2 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 25/1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.0153 है0 (दक्षिण से उत्तर) तथा किला नम्बर 16/1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.0153 है0 (दक्षिण से उत्तर) रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि में आने वाले पडों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रींगानगर से पैड़ो आदि को काटने की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रास्ता का राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आपसी सहमति होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता में आने वाली भूमि के बादले किसी प्रकार के मुआवजा की मांग नहीं की गई है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.) (राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner